

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण-2,  
पटना।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, फतुआ।

पटना, दिनांक-03/10/18

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत नगर परिषद फतुहा के एन0एच0-30 चौराहा से आर्य समाज मंदिर तक वार्ड नं0-13 एवं 09 में आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा-2, पटना का पत्रांक-800 दिनांक-29.08.2018 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति की राशि निम्नवत् है:-


क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)
1.	राज्य योजनान्तर्गत नगर परिषद फतुहा के एन0एच0-30 चौराहा से आर्य समाज मंदिर तक वार्ड नं0-13 एवं 09 में आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	148.14650 (विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-02.09.2015)	121.635 (विभागीय पत्रांक-02 दिनांक-01.01.2016)	108.46602

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत की एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में नये मदों का पूरक एकरारनामा किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
03/10/18

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग  
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत नगर परिषद फतुहा के एन0एच0-30 चौराहा से आर्य समाज मंदिर तक वार्ड नं0-13 एवं 09 में आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 1,48,14,650/- (एक करोड़ अड़तालीस लाख चौदह हजार छः सौ पचास) रुपये मात्र। विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-02.09.2015
- 3 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 1,08,46,602/- (एक करोड़ आठ लाख छियालीस हजार छः सौ दो) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।  
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।  
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनु रूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।  
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।  
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।  
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।  
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।  
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।  
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।  
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।  
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।  
(xii) विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।  
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

  
03/10/18

अधीक्षण अभियंता  
बिहार शहरी विकास अभिकरण  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना